संख्या–1549/15–7–2020–1(20)/2020

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

3–सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

5–समस्त जिलाविद्यालय
निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर, 2020

विषयः– कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा–9–12 के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–195/एक–11–2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण विद्यालय बन्द हैं।

2– शासन के पत्र संख्या–741/15–7–2020–1(20)/2020 दिनांक 13.04.2020 द्वारा कोराना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से घोषित लॉकडाउन की अवधि/स्कूल के खुलने से पहले तक सत्र नियमित करने एवं छात्रहित में समस्त विद्यालयों में ई–लर्निंग/डिजीटल/व्हाट्सअप के माध्यम से दिनांक 20.04.2020 से ऑनलाइन पठन–पाठन प्रारम्भ कराए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त के क्रम में संख्या–1021/15–7–2020–1(20)/2020 दिनांक 04.07.2020 द्वारा सत्र को नियमित रखने तथा छात्रहित में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य द्वारा शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों को दिनांक 06.07.2020 से ऑनलाइन माध्यम से पठन–पाठन कराए जाने तथा नए सत्र में छात्रों को प्रवेश इत्यादि प्रदान किए जाने हेतु सहयोग हेतु बुलाए जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्या–1165/15–7–2020–1(20)/2020 दिनांक 16.09.2020 द्वारा अनलॉक–4 के दृष्टिगत विद्यालयों को आंशिक रूप से खोले जाने हेतु अभिभावकों में जागरूकता फैलाने, स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को भेजने हेतु अभिभावकों की

लिखित अनुमति प्राप्त करने तथा कोविड–19 के संक्रमण से सतत बचाव की तैयारी हेतु स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा परिस्थितियां अनुकूल होने पर छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की लिखित अनुमति के उपरान्त शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु स्कूल बुलाने की तिथि पृथक से सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

3– गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–डी0एम0–1(ए) दिनांक 30.09.2020 के कम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के सर्कुलर संख्या–2135/2020/सी0एक्स0–3 दिनांक 01.10.2020 द्वारा समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15.10.2020 के बाद चरणबद्ध रूप से खोले जाने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिए जाने के आदेश निर्गत किए गए थे। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार के पत्र F.No. 11-16/2020-Sch.4 दिनांक 05.10.2020 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के संबंध में Standard Operating Procedures (SOP) जारी किए गए है।

4– उक्त के कम में सत्र को नियमित करने तथा छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के विद्यालयो के कक्षाएं 9,10,11 एवं 12 में दिनांक 19.10.2020 से पठन–पाठन भौतिक रूप से पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाए तथा यह प्रकिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरान्त नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाय।
2. विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।
3. विद्यार्थियों को हैण्डवाश/हैण्ड सेनेटाईज कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय।
4. विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाय।
5. विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वारा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते है तो उन्हें प्रतिदिन सेनेटाईज कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
7. सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।
8. विद्यार्थियों को 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
9. ऑनलाइन पठन–पाठन की व्यवस्था यथावत जारी रखी जाये तथा इसे प्रोत्साहित किया जाये, जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन पठन–पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाय। यदि कोई विद्यार्थी आनलाइन अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
10. विद्यालय 02 पालियों में संचालित किए जाये। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा–11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पठन–पाठन हेतु बुलाया जाय।

11. एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाय। अवशेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाय।
12. विद्यार्थियों को उनके माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन–पाठन हेतु बुलाया जाय। विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रूख अपनाया जाय तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिए बाध्य न किया जाय।
13. कोविड–19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाय।

5– अतः विद्यालय खोले जाने से संबंधित Standard Operating Procedures (SOP) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न एस0ओ0पी0 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा www.mhrd.gov.in पर जारी गाईड लाइन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षाएं–9–12 के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6– विद्यालयों को पुनः खोले जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,
10.X.2020
(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/15–7–2020–1(20)/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सचिव, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।
7. सचिव, सी0आई0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
9. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर्यका अखौरी)
विशेष सचिव।